श्री दयानिधान पांडेय, सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–31.07.2024 को हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना एवं राजकीय नलकूप की स्थिति की समीक्षा हेतु विभागीय पदाधिकारियों/अभियंताओं के साथ आयोजित बैठक की कार्यवाही

सचिव, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक–31.07.2024 को हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना एवं राजकीय नलकूप की स्थिति की समीक्षा विभागीय पदाधिकारियों/अभियंताओं के साथ वीडियो कॉंफ्रेंस के माध्यम से की गई, जिसमें अपर सचिव, संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, अधीक्षण अभियंता (मु०) अनुश्रवण, संबंधित कार्यपालक अभियंता इत्यादि ने भाग लिया। योजनावार समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिए गए–

1. <u>हर खेत तक सिंचाई का पानी (सतही योजनाएं)</u> -

1.1 मुंगेर जिला में इस योजनांतर्गत कुल 27 योजनाओं में से पिछले सप्ताह तक 17 योजनाओं का डी०पी०आर० तथा वर्तमान सप्ताह में 6 डी०पी०आर० तैयार किया गया है। कार्यपालक अभियंता, मुंगेर द्वारा बताया गया कि शेष 4 योजनाएं कार्यान्वयन योग्य नहीं है। प्रतिवेदित हुआ कि इनके द्वारा बार–बार योजनाओं को drop किया जा रहा है, जो खेदजनक है। विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस संबंध में इनसे स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(अनुपालन–संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मुंगेर)

1.2 कैमूर जिला में इस योजनांतर्गत कुल 68 योजनाओं में से पिछले सप्ताह तक 35 योजनाओं का डी०पी०आर० तथा वर्तमान सप्ताह में 20 डी०पी०आर० तैयार किया गया है तथा 13 योजनाओं में प्री–लेवल का कार्य किया गया है। कार्यपालक अभियंता, कैमूर को निदेश दिया गया कि शेष बचे योजनाओं का डी०पी०आर० दिनांक–02.08.2024 तक विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कैमूर)

1.3 मधुबनी जिला में इस योजनांतर्गत कुल 59 योजनाओं में से पिछले सप्ताह तक 29 योजनाओं का डी०पी०आर० तथा वर्तमान सप्ताह में 5 डी०पी०आर० तैयार किया गया है। मधुबनी में 25 योजनाओं का डी०पी०आर० का निर्माण शेष बचा हुआ है, जबकि इस जिले में 11 अभियंता जिला स्तर प्रतिनियुक्त हैं, जिससे प्रतीत होता है कि कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस संबंध में इनसे स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(अनुपालन–संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मधुबनी)

1.4 नवादा जिला में इस योजनांतर्गत कुल 90 योजनाओं में से पिछले सप्ताह तक 58 योजनाओं का डी०पी०आर० तथा वर्तमान सप्ताह में 25 डी०पी०आर० तैयार किया गया है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि शेष बची योजनाएं चेकडैम की है, जिसका डिजाईन final किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि शेष योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार कर दिनांक–05.08.2024 तक विभाग को भेजा जाए।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा)

1.5 औरंगाबाद जिला में आहर–पईन योजनांतर्गत कुल 152 योजनाओं में से अब तक 93 योजनाओं में डी०पी०आर० तैयार किया गया है तथा 59 योजनाओं में डी०पी०आर० का निर्माण शेष बचा हुआ है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 45 योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार कर दिनांक–05.08.2024 तक विभाग को भेज दिया जाएगा।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद)

1.6 गया जिला में इस योजनांतर्गत कुल 461 योजनाओं में से पिछले सप्ताह तक 236 योजनाओं का डी०पी०आर० तथा वर्तमान सप्ताह में 113 डी०पी०आर० तैयार किया गया है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि शेष योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार कर दिनांक–05.08.2024 तक विभाग को भेजा जाए।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया)

1.7 जमुई जिला में इस योजनांतर्गत कुल 445 योजनाओं में से पिछले सप्ताह तक 105 योजनाओं का डी०पी०आर० तथा वर्तमान सप्ताह में 50 योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार किया गया है एवं प्री–लेवल लिए गए योजनाओं की संख्या 178 है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि चेकडैम की योजनाओं का डिजाईन final किया जा रहा है तथा 141 योजनाओं का डी०पी०आर० बनाना शेष है। इस जिले की प्रगति धीमी है। निदेश दिया गया कि शेष योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार कर दिनांक–10.08.2024 तक विभाग को भेजा जाए।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई)

1.8 बांका जिला में इस योजनांतर्गत कुल 493 योजनाओं में से पिछले सप्ताह तक 123 योजनाओं का डी०पी०आर० तथा वर्तमान एक सप्ताह में 95 डी०पी०आर० तैयार किया गया है तथा 57 योजनाओं में प्री–लेवल का कार्य किया गया है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि शेष योजनाओं डी०पी०आर० दिनांक–10.08.2024 तक विभाग को भेजा जाए।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका)

1.9 कार्यपालक अभियंता, जमुई एवं बांका को निदेश दिया गया कि पिछली बैठक दिनांक–24.07.2024 को दिए गए निदेश के आलोक में डी०पी०आर० तैयारी के प्रतिवेदन के साथ दिनांक–05.08.2024 को पूर्वा० 11:00 बजे विभाग में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई एवं बांका)

1.10 इस योजनांतर्गत मधुबनी एवं पूर्वी चंपारण जिले में लक्ष्य के विरूद्ध डी०पी०आर० निर्माण की प्रगति अत्यंत ही असंतोषजनक है। विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दोनों जिलों के कार्यपालक अभियंता से इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(अनुपालन–संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मधुबनी एवं पू० चंपारण)

2. <u>मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना</u> -

2.1 दरभंगा जिला में इस योजनांतर्गत कुल 631 आवेदन उपलब्ध हैं, जिनमें से 210 आवेदनों में LPC निर्गत हुए हैं तथा 130 आवेदनों में जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। कार्यपालक अभियंता, दरभंगा द्वारा बताया गया कि 87 किसानों द्वारा नलकूप की योजना नहीं लेने के संबंध में घोषणा पत्र दिया गया है, जिसकी संख्या और बढ़ सकती है।

2.2 पूर्वी चंपारण जिला में कुल 785 आवेदनों में से 94 आवेदनों में LPC एवं 38 आवेदनों में Caste Certificate निर्गत हुए हैं। इस जिले में कार्य की प्रगति अत्यंत धीमा है। विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस जिले के कार्यपालक अभियंता से पूर्व में कार्य में शिथिलता के लिए पूछे गए स्पष्टीकरणों को संकलित कर प्रपत्र 'क' गठित कर इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन–श्रीमती संगीता सिंह, अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पू० चंपारण)

2.3 विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजनांतर्गत जिन जिलों की LPC निर्गत होने का प्रतिवेदन 20 प्रतिशत से कम है, उनके कार्यपालक अभियंताओं से स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(अनुपालन–श्रीमती संगीता सिंह, अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग)

2.4 विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस योजनांतर्गत कितने किसानों द्वारा योजना का लाभ नहीं लेने के संबंध में घोषणा पत्र दिया गया है–इसका पोर्टल पर कॉलम डाला जाए तथा इसे साप्ताहिक समीक्षा के प्रतिवेदन में शामिल किया जाए।

(अनुपालन–श्री अमरेन्द्र कुमार, प्रभारी नलकूप कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग)

3. <u>राजकीय नलकूप</u>–

3.1 भागलपुर जिले में 13 नलकूपों को मरम्मती कर चालू कराने का लक्ष्य निर्धारित था, जिसमें से एक भी नलकूप चालू नहीं कराए गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि संबंधित कार्यपालक

अभियंता द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं ली जा रही है। विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, भागलपुर से स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(अनुपालन–श्रीमती संगीता सिंह, अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग)

3.2 सारण जिले में 360 राजकीय नलकूपों में से 129 चालू स्थिति (functional) में हैं। इनमें से 5 नलकूपों को चालू करने का लक्ष्य था, जिसकी उपलब्धि शून्य है, जबकि इस जिले में सतही योजना भी कार्यान्वित नहीं है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 3 नलकूप विद्युत दोष के कारण बंद है, जिसके लिए ट्रांसफर्मर का अधिष्ठापन कराया जाना है और इस हेतु विद्युत कार्यपालक अभियंता से अनुरोध किया गया है।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, सभी लघु सिंचाई प्रमंडल)

3.3 मधुबनी जिले में 11 नलकूप की मरम्मती कराये जाने के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 01 नलकूप की मरम्मती कराई गई है, जो खेदजनक है। इस संबंध में विभागीय अपर सचिव को निदेश दिया गया कि इस कार्य में जिन जिलों की उपलब्धि 20 प्रतिशत से कम है, उनके कार्यपालक अभियंताओं से स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(अनुपालन–श्रीमती संगीता सिंह, अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग)

3.4 मुजफ्फरपुर जिले में 15 नलकूप की मरम्मती कराये जाने के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 3 नलकूप की मरम्मती कराई गई है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 10 नलकूपों की मरम्मति हेतु राशि की अधियाचना विभाग को भेजी गई है। इस संबंध में प्रभारी नलकूप कोषांग द्वारा बताया गया कि पूर्व में जिलों से प्राप्त अधियाचनाओं के आलोक में आवंटनादेश निर्गत किया जा चुका है। इस जिले की अधियाचना बाद में प्राप्त हुई है। प्रभारी नलकूप कोषांग को निदेश दिया गया कि आवंटन हेतु प्रस्ताव संचिका में अविलंब उपस्थापित किया जाए।

(अनुपालन–श्री अमरेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, प्रभारी नलकूप कोषांग)

3.5 हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम अंतर्गत 21 जिलों के सर्वेक्षित 589 राजकीय नलकूपों की स्थिति की समीक्षा की गई। प्रतिवेदित हुआ कि वर्तमान में 318 राजकीय नलकूप चालू स्थिति (functional) में हैं तथा शेष 271 नलकूप विद्युत दोष/संयुक्त दोष के कारण बंद हैं। संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि विद्युत दोष के कारण बंद पड़े नलकूपों को प्राथमिकता के आधार पर चालू कराने हेतु संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता से समन्वय स्थापित किया जाए।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

3.6 प्रभारी नलकूप कोषांग को निदेश दिया गया कि जो सर्वेक्षित राजकीय नलकूप विद्युत दोष के कारण बंद है–इनमें विद्युत संबद्धता हेतु राशि व्यय किन–किन मदों में विद्युत वितरण

कंपनी द्वारा किया जाना और किन–किन मदों में व्यय का वहन लघु जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाना है, इसे categorywise स्पष्ट किया जाए तथा इसके आलोक में नलकूपों में विद्युत संबद्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन–श्री अमरेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, प्रभारी नलकूप कोषांग)

3.7 विभागीय प्रतिवेदन के अनुसार 112 राजकीय नलकूप अकार्यरत स्थिति में ऐसे हैं, जिसे functional किए जाने हेतु राशि की अधियाचना विभाग को नहीं भेजी गई है। संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि इन नलकूपों को functional किए जाने हेतु प्रत्येक नलकूप राशि 50 हजार रूपए की अधिसीमा तक अधियाचना दो दिनों के अंदर विभाग को भेजा जाए।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

3.8 सर्वेक्षित 589 राजकीय नलकूपों में से 365 नलकूपों की मरम्मती हेतु आवंटन पूर्व के वर्षों में दिया जा चुका है, जिनमें से 318 नलकूप चालू स्थिति में हैं, शेष 47 नलकूपों की मरम्मति हेतु राशि पूर्व से आवंटित के बावजूद भी चालू नहीं कराया जा सका है। संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि शेष नलकूपों की मरम्मती के संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालन–संबंधित कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

3.9 सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि जो नलकूप विद्युत दोष के कारण बंद है, उसकी सूचना प्रबंध निदेशक, SBPDCL/ NBPDCL को दें। नलकूपों की मरम्मती हेतु यदि राशि की आवयकता है तो अधियाचना शीघ्र विभाग को भेजा जाए।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, सभी लघु सिंचाई प्रमंडल)

3.10 बैठक में मौजूद SBPDCL/ NBPDCL के पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जिलों में विद्युत दोष से संबंधित मामलों में जिले के विद्युत कार्यपालक अभियंता से प्राक्कलन तैयार कराकर लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता के माध्यम से लघु जल संसाधन विभाग द्वारा समेकित रूप से अनुरोध कराए जाने पर उनके द्वारा विद्युत दोष के मामलों का निराकरण करा दिया जाएगा।

(अनुपालन– SBPDCL/ NBPDCL/कार्यपालक अभियंता, सभी लघु सिंचाई प्रमंडल)

4. <u>अन्यान्य</u>–

4.1 प्रतिवेदित हुआ कि जहानाबाद, लखीसराय एवं कैमूर जिला में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि दिनांक–01.08.2024 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजा जाए।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लखीसराय एवं कैमूर)

4.2 अगली बैठक में RIDF योजना के संबंध में भी समीक्षा की जाएगी। तदनुसार आवश्यक प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–संबंधित विभागीय पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, सभी लघु सिंचाई प्रमंडल)

4.3 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में जिलों से पुल–पुलिया की स्थिति का सर्वेक्षण करके रिपोर्ट देने का निर्देश था। पुनः कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन तीन दिनों के अंदर विभाग को भेजा जाए।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, सभी लघु सिंचाई प्रमंडल)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/–
सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार

ज्ञापांक–1033 (गो) /ल०ज०सं०वि०/पटना, दिनांक–01.8.2024

प्रतिलिपि–प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०/प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग